

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०:- 05963-220249 फैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक
सेवा में,

/

बागेश्वर

दिनांक : 7 / 11 / 2020

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-कन्धार-पत्थरखानी से तल्लाधार-ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.760 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक सं० ०८बी/यू०सी०पी०/०६/९८/२०१७ एफ०सी०/१६२१ दिनांक २८.१२.२०१७।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अधिकारोपित शर्तों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को चार प्रति में प्रेषित की गयी है उक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ विधिवत स्वीकृति की संस्तुति हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न- आख्या ३ प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक

1442

/ 12-1-2

दिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर

पत्रांक 2532/ 22 व. भू०
सेवा में,

दिनांक 22/10/2020

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-कन्धार-पत्थरखानी से तल्लाधार-ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.760 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- 8बी०/यू०सी०पी०/०६/९८/२०१७/एफ०सी०/१६२१ दिनांक २८.१२.२०१७

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार ४ प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना ४ प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

पत्रांक 2532 / तददिनांक

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी देहरादून को सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी बागेश्वर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-कन्धार-पत्थरखानी से तल्लाधार-ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.760 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/९८/२०१७/एफ०सी०/१६२१ दिनांक २८.१२.२०१७ द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तों बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है।

- १- शर्त संख्या १ के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित ५.५२० है० ग्राम काफली कमेड़ा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० १५,३८,२३१.०० मात्र (रू० पन्द्रह लाख अड़तीस हजार दो सौ इकतीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं० U000000522974764 Dtd ५.११.२०१८ द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ५.५२० है० ग्राम काफली कमेड़ा का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० ४५/छब्बीस-वन/२०१७-१८ दिनांक १७.०१.२०१९ द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रांक-३४४/२०का०/वन भू०ह०/२०१९ दिनांक २६.०४.२०१९ द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण /नामान्तरण कर दिया गया है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
- २- शर्त सं० २ के अनुपालन में रू० १८,१३,३२०.०० (रू० अठारह लाख तेरह हजार तीन सौ बीस मात्र) एन०पी०वी० की धनराशि भुगतान UTR नं० U000000522974764 Dtd ५.११.२०१८ द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।
- ३- शर्त सं० ३ के अनुपालन में सक्षम स्तर से एन०पी०वी० की दरें में बढोत्तरी होने पर बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचतबद्धता पहले ही प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है।
- ४- शर्त सं० ४ के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं सभी दूसरी निधियाँ RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर दी गयी है। बैंक से प्राप्त यू०टी०आर० की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
- ५- शर्त सं० ५ के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
- ६- शर्त सं० ६,७ एवं ८ की हार्ड कापी संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति एवं भारत सरकार से भूमि हस्तान्तरण आदेश जारी कराने की कृपा करें।

- संलग्न- (१) जिलाधिकारी के आदेश दिनांक १७.०१.२०१९ की प्रति।
- (२) तहसीलदार बागेश्वर के पत्र दिनांक २६.०४.२०१९ खतोनी की प्रति सहित।
 - (३) RTGS/NEFT फार्म की प्रति।
 - (४) शासनादेश की प्रति, संलग्न है।
 - (५) प्रमाण पत्र।
 - (६) शर्त सं० ६,७ एवं ८ की हार्ड कापी।

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक —
सेवा में,

/2ई0व0भू0,

दिनांक

/ 10 / 2020

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय :-

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-कन्धार-पत्थरखानी से तल्लाधार-ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण। प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/21509/2016)

सन्दर्भ :-
महोदय,

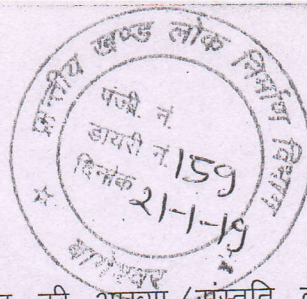
पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/98/2017/एफ0सी0/1621 दिनांक 28.12.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें, भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निस्तारण आख्या निम्न प्रकार है :-

क्र०सं	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Employment details	Permanenent employees are shown Zero (0) and Temporary employment is shown 4x365x30=438000 manday.

Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bageshwar

आदेश



संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/संस्तुति के आधार पर जनपद अंतर्गत बागेश्वर-कंधार-पत्थरखानी से तल्लाधार-ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 2.760 है० की दुगुनी अवनत भूमि 5.520 है० जो ग्राम काफलीकमेड़ा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, कर्मी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-116 के पैमाईशी खेत नम्बर 8409 रकवा 47.975 है० मध्ये कुल रकवा 5.520 है० भूमि जो श्रेणी 9(3)क जंगल फौ० पं० के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या 2173/XVIII(11)2012-18 (120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-08बी/यू०सी०पी०/०६/९८/२०१७/एफ०सी०/१६२१ दिनांक 28.12.2017 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या -45/ छबीस - वन /2017-18 दिनांक 17/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, कपकोट।
- 3- अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
- 4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति सय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

12/1/19

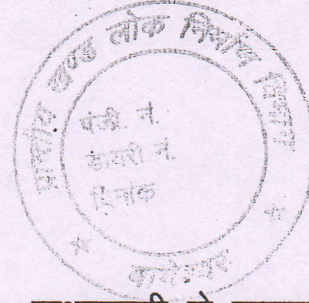
Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या-344/र०का०/वन भू०ह०/2019 दिनांक 26 अप्रैल, 2019



सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय-

जनपद अन्तर्गत बागेश्वर- कंधार- पत्थरखानी से तल्लाधार-ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त 2.760 है० की दुगुनी अवनत भूमि 5.520 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या- 45/छब्बीस- वन/2017-18 दिनांक 17/01/19 के अनुपालन में ग्राम काफलीकमेड़ा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कर्मी तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 116 के पैमायशी खेत नं० 8409 रकवा 47.975 है० मध्ये कुल रकवा 5.520 है० श्रेणी 9(3) क जंगल फौ० पं० के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :-

- (1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- (2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

तहसीलदार
कपकोट।

उद्देश्य स्वतंत्रता और जाति

गाम - काफलीकमेश

राजस्व वि. के. कमी

तह - कपकोट

वैली - द(3)क - ऐसे वन जिनका वर्गीकरण या प्रशासन किसी वन सभाधी विधान द्वारा विभागा

क्र.सं.	नाम स्वतंत्रता	खेत संख्या	विवरण
1	जगल	५०६९	कौण्ड जगल व २१६६
		६६५६	२६ =
		६६६८	२६ =
		६६९२	५५६ =
		६६९६	२ =
		६६९८	९० =
		६६८०	२२९ =
		६६८२	॥ =
		६६८३	॥ =
		६६८४	॥ =
		६६८५	॥ =
		६९३९	२०६ =
		६९४२	९२ =
		६९४४	३६ =
		६९४५	३६ =
		८४०९	४४१ =
		८४०८	२३८ =
		९०३४९	६८९ =
		९०३९०	६ =
योग	५३	५४२	

जीमान विधायिका महेन्द्र वागेश्वर के द्वारा
 ५६/६६वीस - वन/२०१७-१८ दि. १७/०॥
 के अन्तर्गत ५६/७३/५५॥ (५) २०१२-१३
 (१२०)/२०१२ दि. १७ दिसम्बर २०१२ तथा प्रमाण
 वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत
 सरकार उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं - ०८
 बी०/५० सी० पी०/०६/९८/२०१७/ एफ सी
 १६२१ दि. २८-१२-२०१७ में दी गयी शर्तों व
 अन्तर्गत गाम - काफलीकमेश के गैर जाति
 एवं स्वतंत्रता - ११६ के पंजाबसी खेत वन
 ८४०९ खेत ५७-९७५५ हे० मध्ये कुल वन
 ५-५२० हे० भूमि जो महेन्द्र वागेश्वर के
 कौण्ड के वन में दी जा मिले व २६
 को जनपद जलगत वागेश्वर - कच्छास व
 पत्थर खानी से तन्वाधार - गवालम म
 मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वनभूमि २७
 हे० की पुर्तूनी ५-५२० हे० भूमि को वन
 के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामांतरण
 जाता है

राजस्व वि. के. कमी

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
 P.D.P.W.D. Bageshwar

प्रतिस्वाधारी

तहसीलदार
 तहसील कपकोट

महेन्द्र वागेश्वर
 राजस्व वि. के. कमी
 तहसील कपकोट (बागेश्वर)
 २५/०५/१९

E-Cheque Advise
Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CC8900180811180006 Date :02-NOV-18

Code :	1808	Division Name :	Provincial Division P.W.D.
nt No. :	PAC	Scheme :	5054043370304 NV
le :	XXXXX1234C	Name :	Uttaranchal campa
ment Type :	Final Bill	Project Name :	N.P.B PROJECTS PAYMENTS (PV)(5054048000307)

ALLOTTED AMT : 141321305 EXPENDITURE AMT : 104650815 REMAINING AMT : 36670490

TO/STO

to Uttaranchal campa
n Bank IFSC Code CORP0000371 Account No.150896121509021 as per detail below.

1. In Contractor Bank A/C	3351551
GST TDS (CPIN :)	0
Total Payment	3351551

in words : (Rs. Thirty-Three Lac Fifty-One Thousand Five Hundred Fifty-One Only.)

iven above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal
DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Bageshwar

DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Bageshwar

Signature
Executive Engineer PD PWDBageswar

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

For Treasury Use

lo.
ate.

ID :CC8900180811180006 Date :02-NOV

mount Rs. : 3351551.00
words :- (Rs. Thirty-Three Lac Fifty-One Thousand Five Hundred Fifty-One Only.)
unt Rs. : 3351551.00 Amount By TC Rs. : 0.00

Payment Id :

t Signature

ATO Signature

CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

Head of Account

Form No. 28-HAND RECEIPT
(See Chap. XIP, Para 440, 446 and 460)

Particulars for Rs. 335/55/4

Cash Book Voucher No. 5

Date 21/11/18 20

(1) Paid by Cheque/Cash/Rupees (335/55/4) to Sri. UTRANCHAL CAMPA

(2) Paid by Me

RECEIVED for the E.E. P.D. P.W.D. in charge of Bageshwar

Sub-Division AE II Division the sum of

Rs. 335/55/4 Name of work * or purpose of

which payment is made. प्रतीक - 564/120000/2018-19.

18-09-2018.

(Amount in Vernacular) 335/55/40000

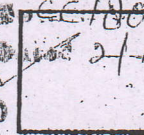
58316

18-09-2018

Date

20

अधिसारी अभियंता
प्रमुख सो रोड
बागेश्वर



Signature of Receiver

U.T.R. No - U000000522974764

Dtd. 05-11-2018

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D. P.W.D. Bageshwar

-HOC CAMPA

IAL DIVISION PWD
WAR

21

6/98/2017

NCHAL

al Division PWD
warBageshwar/-
Fifty-One Thousand Five

as per following

RANCHAL CAMPA

0000371

6121509021

only for this
challan amount.Corporation Bank
Lodhi Complex Branch,
Block 11, CGO Complex,
Phase I, Lodhi Road, New
Delhi - 110003be used for making
NEFT/RTGS only
for seven days.payment, User Agencies may send a line of confirmation through
corpbank.co.in

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-10-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6121509021
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/98/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	3351551/-

Amount In Words :Thirty-Three Lakh Fifty-One Thousand Five
Hundred and Fifty-One Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896121509021 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

5054048000201)

16928

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

[Signature]
 P.D. P.W.D. Bageshwar
 17/10/2018

PD PWDBageswar

1180008 Date :03-NOV-18

1/1

/TO/STO Signature

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/९८/२०१७/एफ०सी० 1621

दिनांक: 28/12/2017

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर -कन्धार-पत्थरखानी से तल्लाधार-ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र संख्या- FP/UK/ROAD/21509/2016 दिनांक 12.07. 2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/21509/2016 एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- जनपद - बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर -कन्धार-पत्थरखानी से तल्लाधार-ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.52 है० ग्राम-काफली कमेड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या :5-3./2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will review and rectify the employment details uploaded at Para E Part-I.
7. State Govt. will provide scheme for planting 3000 trees in lieu of 3.00 ha area proposed for CA (out of total 5.52 ha area proposed for CA) falling in Very Dense/Moderately Dense forest.
8. State Govt. will provide hard copy (original/attested) of site inspection report of DFO and Part III, IV & V of the proposal.

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.52 हे० घास-कामरली कचड़ा सिविल एवं सोयम भूमि को छ. माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 21 वृक्षों से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्कारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्कारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(अजय कुमार)

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(अजय कुमार)

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

परियोजना का नाम— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर— कन्धार—पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.760 है० वन भूमि के दुगुने 5.52 है० में वनीकरण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना। वर्ष 2016-17

- 1 परियोजना का नाम— बागेश्वर— कन्धार—पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण।
 2 पौधारोपण स्थल का नाम— ग्राम तहसील जिला बागेश्वर सिविल सोयम भूमि — क्षेत्रफल 5.52 है०
 3 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या — 5.52 x 1100 = 6072 पौधे
 4 रोपित की जाने वाली प्रजाति — हरड़, आंवला, बहेड़, बांज, फल्यांट, वयैराल, भीमल, शीठा
 वर्ष 2016-17

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	5.520	97.00	535.44
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	5.520	584.00	3223.68
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य आदि (10 है० को आधार मानकर)	5.520	7750.00	42780.00
4	कुली दीवाल निर्माण प्रति है० 84 धा०मी० औसत	463.68	315.00	146059.20
5	गड़ढा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	6072	7.33	44507.76
6	निरीक्षण बटिया	5.520	485.00	2677.20
7	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	6072	5.89	35764.08
8	औजार तेज कराई		LS	400.00
1	1- प्रथम चरण का योग			275947.36
1	गड़ढा भरान (0.30 x 0.30x 0.45)	6072	1.15	6982.80
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष।	6072	1.15	6982.80
3	पौध दुलान कार्य (25 % नंगी तथा 75 % वैग पौध रोपण तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि०मी० सिरबोझ औसत पर)	6072	6.39	38800.08
4	पौधारोपण व थावलवदी	6072	2.06	12508.32
5	निराई गुड़ाई व मल्टिंग (दो बार)	6072	0.76	4614.72
6	रसायनिक खाव व दवा प्रति सैकड़ा पौध।	6072	0.21	18.96
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है० पर)।	5.520	4768.00	26319.36
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
9	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
10	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.520	400.00	2208.00
	अ- प्रशिक्षण			
	ब- प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
11	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड, वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डैक्कमैन्टेशन आदि कार्य।	5.520	LS	700.00
2	2- द्वितीय चरण का योग			103413.04
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.520	310.00	1711.20
	अ- प्रशिक्षण			
	ब- प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
3	3- तृतीय चरण का योग			45468.24
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.520	310.00	2543.86
	अ- प्रशिक्षण			
	ब- प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
4	4- चतुर्थ चरण का योग			46300.90
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	200.00	1104.00

Photo Copy Attested
 Assistant Engineer
 P.D.P.W.D. Bageshwar

3	2.2 सुरक्षा दीवाल / धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	150.00	828.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	व- प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
5	5- पंचम चरण का योग			44226.24
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल / धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	व- प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
6	6- षष्ठम चरण का योग			45468.24
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल / धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	व- प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
7	7- सप्तम चरण का योग			45468.24
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल / धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	व- प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
8	8- अष्टम चरण का योग			45468.24
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल / धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	व- प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
9	9- नवम चरण का योग			45468.24
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल / धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	व- प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
10	10- दशम चरण का योग			45468.24
	महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम चरण)			742696.98
	(सात लाख बयालीस हजार छः सौ सत्तानवे रुपये मात्र)		अर्थात् रु०	742697.00

विकास अधिकारी
प्रमाणिक (पुरझा)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
प्रमाणिक वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रमाणिक वनाधिकारी
बागेश्वर वन, प्रमाण, बागेश्वर

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

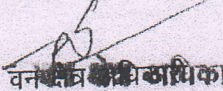
परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-
कन्धार-पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए
ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण।

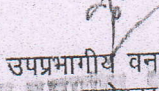
पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता
ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित
प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

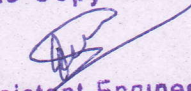
—प्राक्कलन संलग्न हैं—


वन अधिकारी
बागेश्वर (पुरड़ा)


उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

Photo Copy Attested


Assistant Engineer
P.D.F.W.D. Bageshwar

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-
कन्धार-पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए
गवालदम तक मोटर मार्ग निर्माण।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/
भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की
बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो० नि० वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो० नि० वि०
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

परिशिष्ट
(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.सं.	परियोजना विवरण :-	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर- कन्धार-पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रु0 27.68 लाख (प्रथम चरण सर्वेक्षण एवं वन भूमि प्रस्ताव हेतु। शासनादेश की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है) वन भूमि स्वीकृति उपरान्त निर्माण हेतु शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जायेगी।
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	विस्तृत औचित्य प्रस्ताव में संलग्न है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	प्रस्ताव 5 हैक्टेयर से कम का है। अतः लागू नहीं है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मार्ग निर्माण के दौरान लगभग 60-65 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ही नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन रुकेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	आरक्षित वन भूमि- 1.989 है0 सिविल सोयम वन भूमि - 0.771 है0 वन पंचायत भूमि - 0.00 है0 कुल वन भूमि - 2.760 है0 नाप भूमि - 0.776 है0 कुल भूमि :- 3.536 हैक्टेयर (कच्चा, ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण हेतु)
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हों, क) परिवारों की संख्या	आवश्यकता नहीं है। लागू नहीं है।
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	मोटर मार्ग कच्चा निर्मित होना है। अतः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सामान्य नियमों के अन्तर्गत दुगुने सिविल सोयम भूमि में वनीकरण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राविधान करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण आंगणन एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण का आंगणन वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्ताव में लगाया गया है। वृक्षारोपण व्यय, एन0पी0वी0 तथा मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पौधारोपण में आने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा बहन करने सम्बन्धी बचनबद्धता भी प्रस्ताव में संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं एवं हस्ताक्षरित है।

दिनांक.....

स्थान— बागेश्वर

प्रयोक्ता ऐजेन्सी के हस्ताक्षर, नाम, मुहर

(के0एस0 मेहता)
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

(राजेश कुमार पुनेठा)
अधिशायी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रस्ताव की कम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

5.1 A proposal had been received by this office from Executive Engineer, Provincial Division PWD Bageshwar for diversion under FCA 1980 of **2.760 ha**ct. Of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction/**Extension of Bageshwar-Kandhar-Patharkhani Motor Road via Talladhar to Gwaldam Motor Road** The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated-----

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/ PF/ un-classed/ other forests measuring **2.760 ha**.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part I is unavoidable and is barest minimum required for the project. *yes*

5.4 Whether any rare/ endangered/ uique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- *No*

5.5 xx..Whether any protected archological / heritage site/ defence establishment or any other important monument is located in the area, if so the details thereof with NOC from competent authority, if required. *No*

- (a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation) Act 1980 and no work has been started without proer sanction. *✓*
- (b) It has been found that the user agency has violated (Conservation) Act 1980 and provisions. A details report as per para 1.9 of chépter I, para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.-*X*

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place- Bageshwar
Date -----20

Signature

Name *h/df*
Designation *(M.R. Singh)*
Office Seal

N.B/ x State the purpose for which the forest land is **proposed to be diverted**.
xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/ 2000 FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environmet & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hactares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposals involving more then 40 hacters of forest land site inspection report from the Conservator of forest is required.

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2297/१३०००.५
सेवा में,

दिनांक 23/08/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-कन्धार-पत्थरखानी से तल्लाधार-ग्वालदम मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.760 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 4244 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक 15.03.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र सं0 1442 / 12-1-2 बागे0 दिं0 07.11.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु नोडल कार्यालय देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। पॉच वर्ष से अधिक समय से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि रू0 9,61,060.00 की माँग की गई थी, जिसे (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No-SBIN524229363286 dtd 16.08.2024 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की देय धनराशि जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

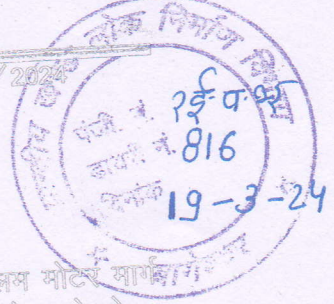
23/8/24

बागेश्वर
वन प्रभाग
बागेश्वर

भवदीय,
23/8/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 4244 / 12-1-2

बागेश्वर, दिनांक : 15/03/2024

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० विभाग,
बागेश्वर।

विषय -

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-कन्धार-पत्थरखानी से तल्लाधार-ग्वादलम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है० वन भूमि में अतिरिक्त एन०पी०वी० धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन०पी०वी० की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सञ्चालित की स्वीकृति निर्दिष्ट दिनांक 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को सैद्धान्तिक की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने का सम्बन्ध में कार्यवाही के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख)	जमा की जाने वाली धनराशि	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन०पी०वी०	2.760 है०	5	0.1	1005210.00	27,74,380.00	18,13,320.00	9,61,060.00
कुल योग						27,74,380.00	18,13,320.00	9,61,060.00

Handwritten signature: A.E.S. / Amen / LAC

Handwritten signature: P.E.E. / 18/3/24

(उमेश चन्द सिवाड़ी)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

Handwritten signature: P.C. Khanna

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर



फोन/फैक्स नं०-05983-220008

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० बागेश्वर।

E-mail id- pdpwwbgr@gmail.in



दिनांक 16/08/2024

पत्रांक 2257/कैश

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :-

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर-कन्धार-पत्थरखानी मोटर को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए खालदम तक मोटर मार्ग का निर्माण (05 किमी०) भूमि हे० 2.76 कार्य हेतु अतिरिक्त एन०पी०वी० धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर के नाम बैंकर्स चैक सं०- 640399 दिनांक 10.07.2024 रू० 9,61,080.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं०- 150896121509870 IFSC Code- UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :- बैंकर्स चैक सं०- 640399 दिनांक 10.07.2024 रू० 9,61,080.00 मात्र मूल में।

14/8/24
(इ० धन सिंह कुटियाल)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर।

पत्रांक :-
प्रतिलिपि,
प्रतिलिपि,

/कैश, तद दिनांक।

सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर।



सहायक
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

8/14/24, 4:35 PM

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-08-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6121509870
MoEF/SG File No.	88/UCP/06/98/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	961060/-

Amount in Words : Nine Lakh Sixty-One Thousand and Sixty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896121509870 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-08-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6121509870
MoEF/SG File No.	88/UCP/06/98/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	961060/-

Amount in Words : Nine Lakh Sixty-One Thousand and Sixty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896121509870 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR - SBIN524229363286

14/8/24
Executive Engineer
Prov. Division P.W.D.
Bageshwar

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

